न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 20 / 2020 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2020 / 00173

प्रार्थी :—
मोनिका सोनीगरा पुत्री श्री लक्ष्मणसिंहजी जाति राजपूत निवासी ढोला जागीर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :—
1. इन्द्रमल पुत्र श्री कपूरजी गर्ग निवासी ढोला जागीर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)
2. भीमाराम पुत्र श्री सुरारामजी जाति सीरवी निवासी ढोला जागीर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
3. सरपंच, जरिये ग्राम पंचायत ढोला, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 28.10.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत ढोला द्वारा संकल्प संख्या 02 दिनांक 08.12.2003 की पालना में जारी पट्टा संख्या 1690 दिनांक 08.12.2003 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ढोला जागीरी तहसील सुमेरपुर की आबादी भूमी में कपूरजी गर्ग का भूखण्ड बनाप 26 फिट बाई 58 फीट का आया हुआ है जिसके उत्तर में जमना देवी का मकान, दक्षिण में ढोला से माण्डल जाने की पक्की डामर सड़क, पूर्व में मांगीलाल पुत्र श्री खीमाजी सीरवी का मकान, पश्चिम में आम रास्ता व दरवाजा है। कपूरजी के के स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूखण्ड को उनके दो पुत्रों ने 1/2—1/2 हिस्से में बांट लिया। जिसमें उत्तर दिशा की ओर वाला भूखण्ड ओटाराम व दक्षिण हिस्से वाला भूखण्ड इन्द्रमल के हिस्से बंटवाड़ा अनुसार तय हुआ। ओटाराम ने अपने हिस्से में आये हुए भूखण्ड बनाप 13 फीट बाई 58 फीट में से पूर्व दिशा की ओर से 13 फीट बाई 23 फीट का भूखण्ड हिराराम गर्ग को बेचाण कर दिया व शेष भूखण्ड बनाम 13 फीट बाई 35 फीट अपने पास रखा। इन्द्रमल ने अपने शेष भूखण्ड का पट्टा बनवाते समय वाले—वाले सरपंच ग्राम पंचायत ढोला से साठ—गाठ कर नियम विरूद्ध अपने कब्जाशुदा भूमी बनाप 13 फीट बाई 35 फीट से आगे बढते हुए ढोला से माण्डल जाने वाली पीडब्ल्यूडी की सड़क के पास पीडब्ल्यूडी की खाली जमीन पर अतिक्रमण करते हुए दक्षिण दिशा में भूखण्ड की चौड़ाई बढा दी जबकि नियमानुसार पीडब्ल्यूडी की पक्की सड़क के मध्य से 12 मीटर भूमी पीडब्ल्यूडी की मानी जाती है अतः इस पर किया गया अतिक्रमण नियमविरूद्ध है। ग्राम पंचायत ढोला द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 (ख) की पालना किये बगैर जारी किया है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। नियम 145 के तहत न तो पट्टे हेतु आवेदन किया गया न ही साईज व पड़ौस के साथ नक्शा संलग्न किया। बिना मौका निरीक्षण किए उक्त जैर निगरानी पट्टा वाले—वाले जारी किया गया। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर लगे विद्युत पोल को विद्युत विभाग मे पैसे भरकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा हटाया

जिला कलक्टर, पाली

गया जो बाद में गली की नाली के बाहर गली के बीच में आ गया जिससे वाहन को पश्चिम दिशा की ओर गली में जाने हेतु परेशानी का सामना करना पडता है अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। नियम 146 के अनुसार ग्रुप सचिव व तीन वार्ड पंचो की समिति द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया। पीडब्लूडी की सड़क ग्राम पंचायत ढोला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक चिकित्सालय ढोला, एम.जी.बी. बैंक जाने का मुख्य रास्ता है अतिक्रमित भाग पर विद्युत पोल लगे होने के बावजूद सही पालना रिपोर्ट पेश नहीं की। मात्र ग्राम पंचायत कार्यालय में बैठकर नियम 146 की खानापूर्ति की गई। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 148 के अनुसार नोटिस जारी कर प्रकाशित नहीं किया गया नोटिस पर पड़ौसीयों के हस्ताक्षर नहीं करवाये। न ही नोटिस सहज दृश्य स्थान पर चस्पा की गई तथा न ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नोटिस चस्पा करने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये। न ही नियम 149 के तहत आक्षेप आमंत्रित किए गए। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय पंचायती राज नियम 145 से 157 (ख) की पालना नहीं की गई। पट्टे में कही भी ग्राम पंचायत का नाम अंकित नहीं है ना ही जिसके पक्ष में पट्टा जारी किया गया उस व्यक्ति के रहने के स्थान , गांव का ही उल्लेख कहीं किया गया है। अतः जैर निगरानी पट्टा नियमविरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने सरपंच ग्राम पंचायत ढोला से मिलावट कर बाले–बाले जारी करवाया। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त पीडब्ल्यूडी की जमीन पर निर्माण करने की बात करने पर प्रार्थीया के पिता द्वारा ग्राम पंचायत में शिकायत वार्ड पंच कन्यादेवी वार्ड संख्या 4 के मार्फत नक्शा मौका दिखाकर 4 गवाहों की उपस्थिति में पेश कर सरपंच ग्राम पंचायत ढोला का अवगत कराया इस पर ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई इस पर जैर निगरानी पट्टा संख्या 1690 व मिसाल बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रतिलिपी मांगी परंतु प्रार्थीया को मात्र पट्टे की प्रतिलिपि दी तथा मिसल बाढ में नष्ट होना बताया। परन्तु बाढ में पट्टा बुक भी सुरक्षित नहीं रहती अतः ग्राम पंचायत द्वारा उक्त जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय कोई मिसल कायम नहीं की गई ना ही आदेशिका लिखी गई नियमविरूद्व तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाने के आदेश फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने तर्को की ताईद में न्यायिक दृष्टांत Ramkumar Dhaka v/s State of Rajasthan & ors. , DNJ 2013 (1) Page 177 Rajasthan high Court, Narayanlal v/s State WLC 2000(2) Page 767, Rajasthan high Court, prabhatilal v/s Add. Dist. Coll. Sikar and ors. , RLW 2011 (4) Page 3598, Rajasthan high court (jaipur bench), Sumer singh v/s State of Rajasthan , DNJ 2006(1) Page 377 Rajasthan high court पेश किए।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ढोला द्वारा जैर निगरानी पट्टा के सम्बन्ध में मिसल पत्रावली संख्या 60 / 2003–04 कायम करते हुए राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 में वर्णित नियमों की पालना करते हुए आपति इश्तहार जारी करते हुए पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व उसके भाई ओटाराम के 1 / 2–1 / 2 हक–हिस्से का भूखण्ड बंट में रहा उसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नही किया है। अतः काल्पनिक व मिथ्या के आधार पर उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थीया के पिता लक्ष्मणसिंह पुत्र खीमसिंह, जाति राजपूत , निवासी गिरवर , तहसील पाली हाल निवासी ढोला जागीर, शारीरिक शिक्षक के पद पर सरकारी कर्मचारी है उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के भाई ओटाराम से भूखण्ड बनाप 13 बाई 58 खरीद किया है परंतु इस बाबत कोई पंजीबद्ध विक्रय–विलेख निष्पादित नहीं करवाया व ग्राम पंचायत से मिलीभगती कर अपने पक्ष में पट्टा संख्या 1684 दिनांक 08.12.2003 जारी करवाया। इसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अलग से निगरानी श्रीमान के समक्ष पेश की हुई है। अतः जैर निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थीया के पिता लक्ष्मणसिंह द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को अपने रूतबे, दबाव से अप्रार्थी संख्या 1 इन्द्रमल के पट्टासुदा मकान की तरफ खिड़कियां खोल दी व इन्द्रमल को अपना मकान स्वयं को बेचने हेतु परेशान किया। जिससे विवश होकर अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 22.05.2015 को

जिला कलेक्टर, पाली

भू–खण्ड मय मकान बेचाण किया। अतः जैर निगरानी प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। ग्राम ढोला में दिनांक 26.7.2016 को अतिवृष्टि से बाढ आई थी जिससे समस्त जन जीवन अस्त–व्यस्त हुआ था ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत के पास जैर निगरानी पट्टा, मिसल, पत्रावली का उपलब्ध नहीं होना एवं नष्ट होना सही एवं आधारपूर्ण तथ्य है। जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत ढोला द्वारा दिनाक 03.01.2004 को एवं प्रार्थीया के पिता के पक्ष में ग्राम पंचायत ढोला द्वारा 24.12.2013 को पट्टा संख्या 1684 जारी कर रखा है अर्थात उक्त दोनों पट्टे एक सरपंच काल में ग्राम पंचायत ढोला द्वारा जारी किये गये है। अतः जैर निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थीया व केसरसिंह पुत्र मोतीसिंह द्वारा एक सिविल वाद मय स्थगन प्रार्थना पत्र श्रीमान सिविल न्यायाधीश, सुमेरपुर के समक्ष पेश कर रखा है जो मौका रिपोर्ट हेतु विचाराधीन है। अतः बिना मौका रिपोर्ट के यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त भूमी कितनी किस तरह पक्षकारों के बीच मौकानुसार रही। इससे भी उक्त जैर निगरानी प्रार्थना पत्र साक्ष्यों के अभाव में काबिले खारिज है। अतः अतः जैर निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर उस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन किया गया। जिसमें जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पचांयत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को खारिज किये जाने के संबंध में उठाये गये बिन्दु निम्न है –

1. अप्रार्थी के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टा अविधिक रूप से ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर जारी कर दिया गया है।

उपरोक्त बिन्दु के सन्दर्भ में यह है कि वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत कथन अनुसार प्रथम–दृष्ट्या यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता द्वारा खरीदे गये भू–खण्ड एक ही व्यक्ति के भू–खण्ड से टूटकर बने हुए है तथा वह व्यक्ति श्री कपूर चन्द जिसके एक पुत्र ओटाराम ने अपना हिस्सा श्री लक्ष्मणसिह पुत्र खीमसिंह निवासी ढोला जागीर को बेचान कर दिया तथा दूसरे पुत्र श्री इन्द्रमल ने अपने स्वयं के नाम शेष बचे हिस्से का पट्टा हासिल कर भू–खण्ड श्री भीमाराम को बेचान कर दिया। श्री लक्ष्मणसिंह द्वारा खरीद किया गया भू–खण्ड बनाप 12 फीट बाई 53.5 फीट है तथा इसी बेचान के आधार पर ग्राम पंचायत से पट्टा जारी हुआ जिसके माप व खरीद दस्तावेज के माप में अन्तर है। श्री लक्ष्मण सिंह के पट्टे के सन्दर्भ में अप्रार्थी संख्या 02 श्री भीमाराम द्वारा एक पंचायत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमें इन्हीं बिन्दुओं को उठाया कि अप्रार्थी श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा खरीद भू–खण्ड एवं उसी भू–खण्ड का ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे के माप में अन्तर है।

उक्त बिन्दु की जाँच हेतु वांछित पंचायत निगरानी आंशिक स्वीकार कर विकास अधिकारी, सुमेरपुर को प्रति–प्रेषित की गई।

हस्तगत निगरानी में अप्रार्थी द्वारा इन्द्रमल से भू–खण्ड खरीदा गया है जिनके द्वारा स्वयं ने अपने नाम का ग्राम पंचायत से बनाप जिसमें पूर्वी भुजा 17 फीट, पश्चिमी भुजा 20 फीट एवं उत्तरी तथा दक्षिणी भुजा 35–35 फीट है अर्थात् 647 वर्ग फीट का पट्टा हासिल कर उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 02 को बेचान किया गया है।

परन्तु यहां उल्लेखनीय है कि जब जैर निगरानी भू–खण्ड का सृजन उसी मूल भू–खण्ड से हुआ है जिसके बाकी हिस्से के संबंध में अप्रार्थी की निगरानी आंशिक स्वीकार करते हुए प्रति–प्रेषित की जा चुकी है तथा इस निगरानी में भी समान बिन्दु होने से इस पंचायत निगरानी को भी प्रति–प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आंशिक स्वीकार कर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सुमेरपुर को प्रति–प्रेषित कर निर्देशित किया जाता कि वे दो माह में जाँच करे कि, सड़क / सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर कोई पट्टा जारी नहीं किया गया हो। यदि प्रकरण में नियमों–प्रावधानों का ग्राम पंचायत के स्तर से उल्लंघन होना पाया जावे या सम्पूर्ण कार्यवाही में गंभीर अनियमितता पायी जावे जिससे सम्पूर्ण पट्टा जारी करने की प्रकिया दूषित(Vitiate) हुई हो तो अविलम्ब प्रकरण बनाकर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। ग्राम पंचायत स्तर पर रही

जिला कलेक्टर, पाली

कमियों के कारण लगभग 19 वर्ष पूर्व जारी पट्टे को बिना विस्तृत जांच किए निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने व अनावश्यक लिटिगेशन बढ़ने की संभावना रहती है। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली